न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
012/2023(रसद) **(GCMS 2023/209)**	**07.08.2023**	**28.11.2023**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पिंकी स्वर्णकार, कार्यालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. निलेश पिता रमेश जाति औड आयु वयस्क निवासी रिठोला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
   (कार्यवाही समाप्त 29.08.2023)
2. बबलू पिता रतन जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रिठोला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. राहुल पिता सीता राम औड आयु वयस्क निवास रिठोला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
   (कार्यवाही समाप्त 29.08.2023)
4. लालसिंह पिता डाडम चंद जाति जाट आयु वयस्क निवासी औछडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. नारायण लाल पिता डालचंद जाति प्रजापत आयु वयस्क निवासी निवासी पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
   (कार्यवाही समाप्त 29.08.2023)

विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक, पिंकी स्वर्णकार, कार्यालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 20.04.2023 को कार्यालय पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त पत्रांक/स्पेशल दिनांक 18.04.2023 विषय प्रकरण संख्या 136/2023 धारा 379, 336 भा.द.सं. थाना सदर चित्तौड़गढ़ में मौके पर पड़े हुए पेट्रोलियम पदार्थ मय उपकरणों को जब्त कर सेम्पल लेने की कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार प्रार्थीया आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक पिंकी स्वर्णकार जय जोगणिया होटल परिसर पर पंहुची। उक्त प्राप्त पत्रांक के संदर्भ में दिनांक 18.4.2023 को प्रार्थीया द्वारा मौके पर पहुंच कर परिसर का निरीक्षण किया गया जहां पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए प्लास्टिक के ड्रम एवं लोहे के ड्रम पाये गये साथ ही मौके पर एक जला हुआ टैंकर **IOCL** कम्पनी का **MP14 HB 1581** जिसकी क्षमता 20 किलोलीटर पायी गई। मौके पर ही एक जीप वाहन संख्या आरजे 27 यू 0836 पायी गयी। मौके पर उपस्थित मोतीराम सारण सीआई सदर थाना चित्तौड़गढ़ शिवलाल शर्मा **HC 1268** से पूछताछ पर बताया गया कि दिनांक 17.04.2023 को सांय 8.15 पीएम पर जय जोगणिया होटल परिसर स्थित बाड़ा, ओछड़ी टोल प्लाजा के पास पर पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध चोरी एवं भंडारण करते समय आग लग गई। जिसमें चालक एवं अन्य व्यक्ति घायल हो गये। मौके पर पूछताछ पर बताया गया कि उक्त परिसर में लाल सिंह जाट (मालिक) एवं नारायण सिंह (कर्मचारी) टैकर **MP14 HB 1581 IOCL** कम्पनी से पेट्रोलियम पदार्थ की चोरी वाहन चालक निलेश पिता रमेश ओड निवासी रिठोला खलासी बबलु पिता रतन गुर्जर निवासी मान्दलदा, चन्देरिया एवं अन्य टैकर चालक **MP14 HB 1451** राहुल पिता सीताराम ओड़ निवासी रिठोला, चित्तौड़गढ़ के साथ करने पर वेल्डिंग करते समय आग पकड़ने से चालक निलेश ओड, राहुल ओड, कर्मचारी नारायण प्रजापत झुलस गए एवं लालसिंह जाट होटल मालिक निवासी ओछड़ी चित्तौड़गढ़ मौके से फरार हो गये। उक्त सूचना के आधार पर परिसर का निरीक्षण करने पर 200-200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए प्लास्टिक के 02 ड्रम एवं लोहे का 01 ड्रम (100 लीटर), जीप में रखा हुआ प्लास्टिक पेट्रोलियम पदार्थ से भरा ड्रम (200 लीटर) एवं जीप वाहन संख्या आरजे 27 यू 0836, जला हुआ टैंकर **MP 14 HB 1581 (IOCL)** को कब्जे में लेकर सदर थाना चित्तौड़गढ़ को सुपुर्दगी में दिनांक 18.4.2023 को देकर फर्दजब्ती मय सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। टैंकर **MP 14 HB 1581** एक तरफ से पूर्ण टायर जले हुए केबिन जला हुआ होने से **IOCL** टीम के प्रतिनिधि अत्री अग्रवाल ने मौके पर जायजा लेकर असुरक्षित स्थिति में बताया जिसमें सेम्पलिंग एवं मापन करना असुरक्षित होना बताया गया। इसलिये टैकर के अतिरिक्त परिसर में मौजूद प्लास्टिक एवं लोहे के पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुये ड्रमों का गैज से मापन कर पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया। **IOCL** टीम द्वारा जांच कर बताया गया कि उक्त टैंकर से सेम्पलिंग एवं मापन किसी दूसरे टैकर में शिफ्टिंग के बाद ही सभव हैं इसीलिये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तकनीकी एवं सुरक्षित रूप सैम्पलिंग, मापन, शिफ्टिंग के बाद ही ली जाये। उक्त टैकर के मालिक की पूछताछ पर मालिक आनन्द अग्रवाल निवासी मंदसौर मोबाईल नंबर 9300005173 उपस्थित हुए उनके द्वारा बताया गया कि आर्यन लोजिस्टिक एण्ड सोल्यूशन पिपलिया मंडी, मंदसौर फर्म के मालिक स्वंय हैं एवं यह इसी फर्म का हैं। तत्पश्चात् मौके पर प्राप्त समस्त सामग्री एवं पदार्थ पुलिस थाना की सुपुर्दगी में देकर पुनः दिनांक 20.04.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु मौके पर पहुंची। मौके पर **IOCL** टीम के प्रतिनिधि एवं पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ के **CI** हरेन्द्र सिंह सौदा **SHO** एवं बिन्दु सिंह हैड कांस्टेबल 1321 उपस्थिति में उक्त टैंकर **MP14 HB 1581 IOCL** से मोसरू तकनीकी यंत्र की सहायता से चौम्बर वाइज पेट्रोलियम पदार्थ की सैम्पलिंग कर दूसरे टैंकर **MP14 HB 1451** जो आर्यन लोजिस्टिक एण्ड सोल्यूशन पिपलिया मंडी मंदसौर फर्म का हैं। जिसमें प्रत्येक 5 केएल की क्षमता के 4 चैम्बर है में पेट्रोलियम पदार्थ को खाली करवाया गया। उक्त चैम्बर की क्रमवार सैम्पलिंग की गई एवं प्रत्येक चैम्बर से 3 सेम्पल लिये गये। सेम्पलों में से सेम्पल मार्का बी–1, ए–1, ए–4, ए–7, ए–10 वास्ते जांच एफएसएल निरीक्षण हेतु पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में दिया एवं सेम्पल बी–2, बी–3, ए–2, ए–3, ए–5, ए–6, ए–8, ए–9, ए–11, ए–12 में से कार्यालय जिला रसद अधिकारी हेतु सेम्पल बी–2, ए–2, ए–5, ए–8, ए–11 साथ में लिये गये एवं सेम्पल ए–3, ए–6, ए–9, ए–12 मालिक को सुपुर्द किये। चूंकि प्लास्टिक एवं लोहे के पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए ड्रमों से लिये गये सेम्पल को मालिक नहीं होने के कारण सेम्पल बी–3 साथ में लिया गया। स्थानान्तरित पेटोलियम पदार्थ का टैंकर **MP14 HB 1451** में गैज से मापन किया गया जिसकी मात्रा 18,132 लीटर का होना पाया गया। सैम्पलिंग एवं मापन के पश्चात् दोनों टैंकर **MP14 HB 1451** एवं **MP14 MB 1581 IOCL** को सील्ड किया गया एवं फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त टैंकरों को कब्जे में लेकर पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार टैकर से प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थ की 18,132 लीटर मात्रा, टैंकर **MP14 HB 1451** एवं **MP14 MB1 581 IOCL** 03 प्लास्टिक एवं लोहे के ड्रमों में भरा हुआ 700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जीप नंबर आरजे 27 यू 0836, मापक एल्यूमिनियम जार, प्लास्टिक पाइप एवं खाली केन, वेल्डिंग का जला हुआ तार आदि को कब्जे में लेकर फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा तैयार कर पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में दिये। मौके पर ही फर्द तलपट्टी, फर्दनमूना तैयार कर सेम्पलिंग की। फर्द मौके पर तैयार कर गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये। अन्त में प्रार्थना की गई कि आवेदन पेश है जिसे स्वीकार किया जाकर पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ की प्राथमिकी संख्या 136/2023 दिनांक 18.04.2023 में अभिग्रहित पेट्रोलियम पदार्थ की 18,132 ली. मात्रा टैंकर **MP14 HB 1451 IOCL** एवं **MP14 HB 1581 IOCL,** 3 प्लास्टिक एवं 1 लोहे ड्रमों में भरा 700 ली. पेट्रोलियम पदार्थ, जीप नम्बर **RJ27 U 0836**, एवं मापक एल्युमिनियम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जार, प्लास्टिक पाइप एवं खाली केन, जला हुआ वेल्डिंग वायर आदि को राजसात कराने की कृपा करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 29.08.2023 विपक्षी संख्या 1, 3 व 5 की मृत्यु होने की तस्दीक प्राप्त हुई जिससे विपक्षी संख्या 1, 3 व 5 की मृत्यु होने से इनके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त किये जाने के आदेश दिये गये एवं विपक्षी संख्या 02 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी संख्या 02 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 20.09.2023 को विपक्षी संख्या 04 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी संख्या 04 की विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रकरण में प्रार्थी आनन्द अग्रवाल पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी पिपल्यामण्डी जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम सहपठित धारा 457 जाफ्ता फौजदारी के तहत पेश किया जो कि प्रकरण संख्या 124/2023(रे.वि.) दर्ज रजिस्टर किया गया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी आनन्द अग्रवाल पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी पिपल्यामण्डी जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) ने निवेदन किया कि प्रार्थी/पेट्रोलियम पदार्थ मालिक का 5000 लीटर पेट्रोल व 15,000 लीटर डीजल को पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ ने एफआईआर संख्या 136/2023 में वजह सबूत जब्त कर रखा है। उक्त प्रकरण में वर्तमान में पेट्रोल 3,500 लीटर व डीजल 14702 लीटर ही है बाकी का पेट्रोलियम पदार्थ नष्ट हो चुका है। प्रकरण में पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त पेट्रोलिमय पदार्थ को जप्त कर रखा है एवं उक्त पेट्रोलियम पदार्थ कि पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ को कोई आवश्यकता नहीं है। अभियुक्तगणों द्वारा प्रार्थी के टैंकर से उक्त पेट्रोलियम पदार्थ चोरी किया जा रहा था इसमें प्रार्थी का कोई दोष नहीं है। उक्त पेट्रालियम पदार्थ का जल्द से निस्तारण कर प्रार्थी को नहीं सौंपा गया तो प्रार्थी को इसमे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पडेगा। प्रार्थी के पास उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के बिल भी है जो प्रार्थी प्रार्थना–पत्र के साथ पेश कर रहा है। प्रार्थी के खाते संख्या रूपये 19,02,304/– अक्षरे उन्नीस लाख दौ हजार तीन सौ चार रूपये मात्र भी इंडियन ऑयल द्वारा काट लिये गये हैं। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उसके पेट्रोलियम पदार्थ को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर सिपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 पर टिप्पणी/अभिमत प्राप्त किया गया। इस पर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/रसद/विधि/2023/886 दिनांक 31.10.2023 एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/5493

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 31.10.2023 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित किया गया हैं जो कि प्रकरण संख्या 124/2023 (रे.वि.) में शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि समस्त कार्यवाही अवैध रूप से डीजल/पेट्रोल चोरी को लेकर की गई हैं। इसके साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि जब्तशुदा वाहन मय माल के अनुसंधान किया जा चुका है एवं उक्त वाहनों एवं पेट्रोल व डीजल की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही प्रकरण में उप महा–प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) चित्तौड़गढ़ टर्मिनल से पत्रांक/**CTG/Tpt/Aryan LS Date 07-11-2023** प्राप्त हुआ है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

हस्तगत दोनों प्रकरणों के पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 136/2023 दिनांक 18.04.2023 में जब्तशुदा माल के निस्तारण का प्रश्न निहित है। ऐसी स्थिति उक्त दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दोनो में एक साथ सुनवाई की जाकर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी (प्रार्थना पत्र 124/2023(रे.वि.) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी का पेट्रोल पम्प कम्पनी इण्डियन ऑयल से अनुबंधित किया हुआ हैं एवं प्रार्थी पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिये अनुबंधित है। टैंकर दिनांक 18.04.2023 को इण्डियन ऑयल डिपो जालमपुरा चित्तौड़गढ़ से भरकर ममता फिलिंग स्टेशन 8 एफ–1 आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाडा जा रहा था। जिसका ईनवॉईस नंबर **20241324 B 002736** संलग्न है। उक्त दौरान चालक/सह चालक द्वारा रास्ते में हाईवे पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ निकाला गया। उक्त अवैध निकासी चालक एवं सहचालक द्वारा की गई एवं इनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है। चूंकि टैंकर नंबर **MP 14 HB 1581** कम्पनी इण्डियन ऑयल कॉपोरेरशन डिपो जालमपुरा चित्तौड़गढ़ से भरकर वैध रूप से ममता फिलिंग स्टेशन 8 एफ–1 आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाडा पम्प पर जा रहा था। इसमें कोई अवैध कार्य नहीं किया गया। परिवहन वैध होने से एवं आवश्यक दस्तावेज होने से टैंकर नंबर **MP 14 HB 1581** मय पेट्रोलियम पदार्थ के रिलीज करने का कृपा करावें। प्रकरण में कोई जब्तशुदा वाहन टैंकर जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

MP 14 HB 1581 मय माल (पेट्रोलियम पदार्थ) को सिपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की द्वारा बहस का चित्त मन से शांतिपूर्वक चिंतन–मनन किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी पैरोकार सरकार इस तथ्य को निर्विवाद रूप से साबित कराया गया है कि उक्त जब्तशुदा वाहन में पेट्रोलियम पदार्थ है जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है, जबकि प्रार्थी (प्रार्थना पत्र 124/2023 (रे.वि.)) द्वारा इस तथ्य को निर्विवाद रूप से साबित कराया गया है कि प्रकरण में दिनांक 17.04.2023 को जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर **MP 14 HB 1581** कम्पनी इण्डियन ऑयल कॉपोरेरशन डिपो जालमपुरा चित्तौड़गढ़ से भरकर वैध रूप से ममता फिलिंग स्टेशन 8 एफ–1 आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाडा पम्प पर जा रहा था। इसमें प्रार्थी वाहन मालिक द्वारा कोई अवैध कार्य नहीं किया गया। प्रार्थी/आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपने आवेदन पत्र में अवगत कराया गया है कि वाहन संख्या **MP 14 HB 1581** में आग लगने से दुर्घटना की संभावना होने से मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ को प्रार्थी आवेदक आनन्द कुमार अग्रवाल के ही दीगर वाहन संख्या **MP 14 HB 1451** में स्थानान्तरित किया गया है, एवं वर्तमान में वाहन संख्या **MP 14 HB 1581** खाली है तथा जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ वाहन संख्या **MP 14 HB 1451** में भरा होकर जब्त है। प्रकरण के विपक्षी संख्या 1, 3 व 5 की मृत्यु हो चुकी है एवं विपक्षी संख्या 2 व 4 के न्यायालय द्वारा सूचित किये जाने बाजवूद उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जा चुकी है जिससे विपक्षीगणों का व्यतव्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहनों के संबंध में वाहन संख्या **RJ 27 U 0836** बाबत् प्रार्थी वाहन स्वामी दिनेश कुमार पिता नारायण लाल प्रजापत निवासी नई आबादी पुठोली पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़ ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाफ्ता फौजदारी के तहत पेश किया जो कि प्रकरण संख्या 119/2023(रे. वि.) दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रकरण में न्यायालय आदेश दिनांक 28.11.2023 से प्रार्थी वाहन स्वामी दिनेश कुमार पिता नारायण लाल प्रजापत निवासी नई आबादी पुठोली पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़ को विहित शर्तों पर सुिपर्दगी के आदेश दिये जा चुके हैं। आग से क्षतिग्रस्त वाहन संख्या **MP 14 HB 1581** बाबत् प्रार्थी वाहन स्वामी आनन्द अग्रवाल पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी पिपल्यामण्डी जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाफ्ता फौजदारी के तहत पेश किया जो कि प्रकरण संख्या 122/2023(रे.वि.) दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रकरण में न्यायालय आदेश दिनांक 28.11.2023 से प्रार्थी वाहन स्वामी आनन्द अग्रवाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी पिपल्यामण्डी जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) को विहित शर्तों पर सुपुर्दगी के आदेश दिये जा चुके है।

पेट्रोलियम पदार्थ से वर्तमान में भरे हुये वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **MP 14 HB 1451** जिसके इंजन नंबर **PBP122053** एवं चैचिस नंबर **MB1CTDYC5BPPC5246** को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थी आनन्द अग्रवाल पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी पिपल्यामण्डी जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाफ्ता फौजदारी के तहत पेश किया जो कि प्रकरण संख्या 123/2023 (रै.वि.) दर्ज रजिस्टर किया गया।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह तथ्य बखूबी रूप से प्रमाणित कराया गया है कि जब्तशुदा पेट्रोल व डीजल कम्पनी इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिपो जालमपुरा चित्तौड़गढ़ से भरकर वैध रूप से ममता फिलिंग स्टेशन 8 एफ–1 आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाडा पर जा रहा था, इस तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध ईनवॉईस नंबर **20241324 B 002736** दिनांक 17.04.2023 से होती है इसके साथ ही प्रकरण संख्या 124/2023(रै.वि.) में उपलब्ध उप महा प्रबंधक, इडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) चित्तौड़गढ़ टर्मिनल से पत्रांक/**CTG/Tpt/Aryan LS Date 07-11-2023** से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि पेट्रोलियम पदार्थ की संबंधित को सप्लाई नहीं होने से प्रार्थी आवेदक को डेबिट नोट रूपये 19,02,304/– अक्षरे उन्नीस लाख दौ हजार तीन सौ चार रूपये का जारी किया गया है, जो कि ममता फिलिंग स्टेशन 8 एफ–1 आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाडा की ईनवॉईस नंबर **20241324 B 002736** दिनांक 17.04.2023 के मूल्य के बराबर है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुये वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर **MP 14 HB 1451** मय 18,132 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के प्रार्थी आनन्द अग्रवाल पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी पिपल्यामण्डी जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) को सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही प्रकरण विपक्षी संख्या 2 व 4 द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना जाहिर होता, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी संख्या 2 व 4 द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा शेष 3 प्लास्टिक एवं 1 लोहे के ड्रमों में भरा 700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं मापक एल्युमिनियम जार, प्लास्टिक पाईप एवं खाली केन जला हुआ वेल्डिंग वायर आदि राजसात किये जाने योग्य है, ऐसी स्थिति में पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 136/2023 दिनांक 18.04.2023 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का निस्तारण करते हुए पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दिनांक 18.04.2023 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 136/2023 में वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थ से भरे जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर **MP 14 HB 1451** मय 18132 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के प्रार्थी आनन्द अग्रवाल पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी पिपल्यामण्डी जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) को वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर **MP 14 HB 1451** हेतु रूपये **12,00,000/-** अक्षरे बारह लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं 18132 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ हेतु रूपये **20,00,000/-** अक्षरे बीस लाख रूपये की जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जाकर प्रार्थी आनन्द अग्रवाल पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी पिपल्यामण्डी जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ यथा पेट्रोल एवं डीजल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चित्तौड़गढ़ टर्मिनल से जारी डेबिट नोट के क्रम में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चित्तौड़गढ़ टर्मिनल के यहाँ जमा कराया जावें, उप महा–प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) चित्तौड़गढ़ टर्मिनल प्रार्थी आनन्द अग्रवाल पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी पिपल्यामण्डी जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) को प्रकरण में सिपुर्द पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्रकरण में शेष जब्तशुदा शेष 3 प्लास्टिक एवं 1 लोहे के ड्रमों में भरा 700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं मापक एल्युमिनियम जार, प्लास्टिक पाईप एवं खाली केन जला हुआ वेल्डिंग वायर आदि को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ से जब्तशुदा शेष पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री 3 प्लास्टिक एवं 1 लोहे के ड्रमों में भरा 700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं मापक एल्युमिनियम जार, प्लास्टिक पाईप एवं खाली केन जला हुआ वेल्डिंग वायर आदि प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ एवं उप महा–प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) चित्तौड़गढ़ टर्मिनल को पालनार्थ भिजवाई जावें। संबधित प्रार्थीगणों द्वारा अपेक्षित जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश किये जाने पर संबंधित प्रकरणों में वाहन एवं पेट्रोलियम पदार्थ सिपुर्द किये जाने बाबत् तहरीर जारी करे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **28.11.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official